



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



11 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 126 राँची, शुक्रवार,

1 मार्च, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

28 फरवरी, 2024

विषय:- आदित्यपुर नगर निगम अन्तर्गत आदित्यपुर टाउन हॉल के निर्माण हेतु कुल 15,75,03,000/- रु० (पन्द्रह करोड़ पचहत्तर लाख तीन हजार रुपये) मात्र की तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

संख्या-5/वृ०श०परि० -12/2024/न०वि०आ०-822--74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का दायित्व है। इस क्रम में झारखंड सरकार की चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कदम उठा रही है, जिसमें आदित्यपुर नगर निगम के लिए नये टाउन हॉल निर्माण करना एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. वर्तमान में आदित्यपुर नगर निगम में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं वार्डों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप आमजन को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है। आधारभूत नागरिक सुविधाएं एवं निकट भविष्य में आदित्यपुर शहर के उत्तरोत्तर विकास के आलोक में आदित्यपुर नगर निगम के लिए नये टाउन हॉल निर्माण योजना आवश्यक है। उपायुक्त, सरायकेला खरसावा के

पत्रांक-369 दिनांक-17.02.2024 के द्वारा टाउन हॉल निर्माण हेतु गम्हरिया अंचल अन्तर्गत मौजा-आंसगी, थाना संख्या-126 खाता संख्या-187, खेसरा संख्या 599/अंश में अन्तर्निहित कुल रकबा 1.55 एकड़ भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को निःशुल्क हस्तांतरित की गयी है।

3. उक्त प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा कुल 15,75,03,000/- रु० (पन्द्रह करोड़ पचहत्तर लाख तीन हजार रुपये) मात्र पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है, जिसमें निम्नलिखित अवयव हैं:-

Sl. No.	Description	Total
	CIVIL WORK	
1	Boundary wall	3778299.02
2	Main entrance gate	821333.27
3	Town hall work	59916238.18
4	Carriage of materials	2123562.45
	Cost of Civil work	66639432.92
	Services	
5	Plumbing works	2778047.46
6	Septic tank & Soak pit (2nos)	469406.73
7	Rain water harvesting (2nos)	307365.29
8	Electrification works	14317425.94
9	Fire fighting system (with wet riser sprinkle system) & fire alarm system	3388264.00
10	Audio visual system	9195529.20
	Landscaping & Horticulture works	
11	Landscaping works	3542047.46
12	Horticulture works	1327606.54
13	CCTV System	444994.00
14	Acoustics	10590600.35
15	Furniture's, fountain, gazebo & decorative items.	10721629.60
	Sub total cost	123722349.49
	GST 18% on (JH-SOR, & MR)	16404600.50
	GST 18% on DSR items	5865422.41
	LABOR Cess @1% on (JH-SOR, DSR & MR)	1459923.72
	Sub total cost (X)	147452296.12
	Add JUIDCO Centage @7% upto 10 crores (Over X)	7000000.00
	Add JUIDCO Centage @5% upto 10-100 crores (Over X)	2372614.81
	Add Consultancy fees as per BCD on (over X)	
	Upto 1 crore 50% of @1.35%	67500.00
	1 crore to 5.0 crore 50% of @1.25%	250000.00
	above 5.0 crore 50% of @0.74 %	360573.50
	Total fee	678073.50
	Total cost of work	157502984.43
	Say Total	157503000.00

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा:-

क्र०	योजना कार्य	बजट शीर्ष
i	परामर्शी सेवा	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-191/796 - दोनों प्रक्षेत्र-उपशीर्ष-38-शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) कोड- 48S221780191/79638000679
ii	शेष योजना कार्य	मुख्यशीर्ष-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-51-वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना/789/796-तीनों प्रक्षेत्र-उपयोजना शीर्ष-01-Major Urban Projects and Civic Infrastructure (24000906) विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-48S-4217-60-051/789/796-51-01-05-45

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत स्थापित सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) द्वारा तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा (National Competitive Bidding) के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा। उक्त योजना का कार्यान्वयन दो चरणों में किया जाएगा।

6. इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सर्वश्री जुडको लिमिटेड द्वारा की गयी अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा सर्वश्री जुडको लिमिटेड को राशि आवंटित किया जाएगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन की अवधि 24 माह होगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा जुडको लि० को निम्नरूपेण वित्तपोषण किया जाएगा:-

क्रसं.	वित्तीय वर्ष	राशि (प्रतिशत में)
1	2024-25	50%
2	2025-26	50%

7. उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन, कोषागार से की जाएगी जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे। निकासी की गई राशि को सर्वश्री झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (सर्वश्री जुडको लि०) के पी०एल० खाते में संधारित करते हुए नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आदित्यपुर नगर निगम अन्तर्गत आदित्यपुर टाउन हॉल के निर्माण हेतु कुल 15,75,03,000/- रु० (पन्द्रह करोड़ पचहत्तर लाख तीन हजार रुपये) मात्र की तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9. उक्त योजना पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अनुमोदनोपरान्त दिनांक-22.02.2024 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रदान की गई है, जिस पर माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड का स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
